152 नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा – उन्हें दर्जा प्रदान करना/उसे वापस लेना

अधोहस्ताक्षरी को उपरोल्लिखित विषय पर इस विभाग के दिनांक 11.6.2001 के का.ज्ञा.सं. डी पी ई/4(8)/2000–वित जी एल XXXXIX का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय लिया गया था कि नवरत्न स्तर बनाए रखने के संबंध में शीर्ष समिति द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाएगी।

2. केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की आवधिक रूप से समीक्षा करने और उन्हें अति शीघ्र नवरत्न दर्जा प्रदान करने/उसे वापस लेने के लिए सिफारिश करने हेतु सचिव (लो.उ.वि.), सचिव (योजना आयोग), सचिव (व्यय) और संबंधित प्रशासनितक मंत्रालय के सचिव को शामिल करते हुए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके संयोजक सचिव (लो.उ.वि) होंगे। यह समिति शीघ्र निर्णय लेने में शीर्ष समिति की सहायता करेगी।

(लो.उ.वि. का 12 अगस्त, 2005 का का.ज्ञा. सं. 18(24)/2003 – जीएम जीएल–67)